N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.
(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0243 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 18/09/2025 18:44 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** शुक्रवार **Date From (दिनांक से):** 12/09/2025 **Date To (दिनांक तक):** 12/09/2025
      Time Period (समय अवधि): पहर 5 **Time From (समय से):** 12:15 बजे **Time To (समय तक):** 14:43 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 18/09/2025 **Time (समय):** 14:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 003 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 18/09/2025 18:44:22 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** EAST, 60 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

   (b) **Address(पता):** GRAM PANCHAYAT SARMALIYA, PANCHYAT SAMITI JAVAJA, TEHASIL AVAM JILA BEAWAR

   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**
   (a) **Name(नाम):** KANHAIYA LAL
   (b) **Father's Name (पिता का नाम):** ARJUN LAL
   (c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1995 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA
   (e) **UID No(यूआईडी सं.):**
   (f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
   Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**
   (g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

   (h) **Occupation (व्यवसाय):**
   (i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GRAM PILANI, GRAM PANCHAYAT SARMALIYA, ब्यावर, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GRAM PILANI, GRAM PANCHAYAT SARMALIYA, ब्यावर, RAJASTHAN, INDIA

   (j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	AKHILESH KUMAR		पिता:SHYAM LAL BERWA	1. 16/19,FOY SAGAR ROAD,G C 2 KE PASS,HARIBHAU UPADHYAY NAGAR,AJMER,RAJASTHAN,IN

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		6,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 6,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	**UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)**

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवा में श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट, अजमेर विषय रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथ पकडवाने बाबत् महोदय, निवेदन है कि मै प्रार्थी कन्हैया लाल पुत्र श्री अर्जुन लाल उम्र 30 वर्ष जाति गुर्जर निवासी ग्राम पिलानी ग्राम पंचायत सरमालिया तहसील ब्यावर जिला ब्यावर का रहने वाला हूं। मेरी ग्राम पंचायत सरमालिया की जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत गांव सरमालिया, सरगांव मे पानी खोलने हेतु लाईन मैन के रूप मे प्रति माह 12000 रूपये के हिसाब से नियुक्त कर रखा है। मै ग्राम पंचायत सरमालिया के ग्राम विकास अधिकारी श्री अखिलेश कुमार के अधीन कार्य करता हू तथा उनके द्वारा ही मुझे पंचायत से प्रतिमाह 12000 रूपये का चैक जारी कर भुगतान किया जाता है। वेतन के अतिरिक्त उक्त योजना मे मेन्टीनेन्स कार्य के खर्च राशि का भुगतान भी जरिये चैक मेरे खाते मे किया जाता है। प्रतिमाह वेतन मे 3000 रूपये तथा मेरे खाते मे मेन्टीनेन्स की जमा राशि पुरी ही ग्राम विकास अधिकारी मेरे से ले रहे है। मेरा पिछले माह जुलाई/अगस्त 2025 का वेतन 24000 रूपये तथा मेन्टीनेन्स राशि 9840 रूपये जरिये चैक कल दिनांक 11.09.25 को बैंक मे जमा करवाये है। ग्राम विकास अधिकारी अखिलेश कुमार मेरे से उक्त भुगतान रासिेवा में श्रीमान् अति0 पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट, अजमेर विषय रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथ पकडवाने बाबत् महोदय, निवेदन है कि मै प्रार्थी कन्हैया लाल पुत्र श्री अर्जुन लाल उम्र 30 वर्ष जाति गुर्जर निवासी ग्राम पिलानी ग्राम पंचायत सरमालिया तहसील ब्यावर जिला ब्यावर का रहने वाला हूं। मेरी ग्राम पंचायत सरमालिया की जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत गांव सरमालिया, सरगांव मे पानी खोलने हेतु लाईन मैन के रूप मे प्रति माह 12000 रूपये के हिसाब मे नियुक्त कर रखा है। मै ग्राम पंचायत सरमालिया के ग्राम विकास अधिकारी श्री अखिलेश कुमार के अधीन कार्य करता हू तथा उनके द्वारा ही मुझे पंचायत से प्रतिमाह 12000 रूपये का चैक जारी कर भुगतान किया जाता है। वेतन के अतिरिक्त उक्त योजना मे मेन्टीनेन्स कार्य के खर्च राशि का भुगतान भी जरिये चैक मेरे खाते मे किया जाता है। प्रतिमाह वेतन से 3000 रूपये तथा मेरे खाते मे मेन्टीनेन्स की जमा राशि पुरी ही ग्राम विकास अधिकारी मेरे से ले रहे है। मेरा पिछले माह जुलाई/अगस्त 2025 का वेतन 24000 रूपये तथा मेन्टीनेन्स राशि 9840 रूपये जरिये चैक कल दिनांक 11.09.25 को बैंक मे जमा करवाये है। ग्राम विकास अधिकारी अखिलेश कुमार मेरे से उक्त भुगतान राशि के बदले मे मेरे से प्रतिमाह वेतन मे से 3000 रूपये के हिसाब मे 6000 रूपये तथा तथा मेन्टीनेन्स की राशि 9840 रूपये की मांग कर रहा है। मे अपने जायज काम के बदले मे उसे रिश्वत राशि नही देना चाहता हू। बरन उसे रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहता हू। कानुनी कार्यवाही करे। दिनांक 12.09.25 प्रार्थी कन्हैयालाल मो.न. के बदले मे मेरे से प्रतिमाह वेतन मे से 3000 रूपये के हिसाब मे 6000 रूपये तथा तथा मेन्टीनेन्स की राशि 9840 रूपये की मांग कर रहा है। मे अपने जायज काम के बदले मे उसे रिश्वत राशि नही देना चाहता हू। बरन उसे रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहता हू। कानुनी कार्यवाही करे। दिनांक 12.09.25 प्रार्थी कन्हैयालाल मो.न. कार्यवाही पुलिस भ्र0नि0ब्यूरो, स्पेशल यूनिट-अजमेर प्रकरण हाजा के हालात इस प्रकार से निवेदन है कि दिनांक 12.09.25 समय 09.45 एएम पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र0नि0ब्यूरो, स्पेशल यूनिट,अजमेर को मुख्यालय द्वारा संचालित हैल्पलाईन नम्बर 1064 से जरिये मोबाईल सूचना प्राप्त हुई कि परिवादी श्री कन्हैया लाल गुर्जर से प्राप्त सुचना के आधार पर उसके मोबाईल नम्बर . पर सम्पर्क कर रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों पकडवाए जाने के सम्बन्ध में आवश्यक अग्रिम ट्रेप कार्यवाही सम्पादित की जावे। प्राप्त सूचना के आधार पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी के मोबाईल नं0 से सम्पर्क किया तो परिवादी श्री कन्हैया लाल ने अवगत कराया कि मैने मुख्यालय पर संचालित हैल्पलाईन 1064 पर शिकायत दर्ज कराई है। मैं प्रार्थी कन्हैया लाल पुत्र श्री अर्जुन लाल उम्र 30 वर्ष जाति गुर्जर निवासी ग्राम पिलानी ग्राम पंचायत सरमालिया तहसील व जिला ब्यावर का रहने वाला हूं। मेरी ग्राम पंचायत सरमालिया की जल जीवन मिशन योजना के तहत लाईनमैन/की मैन के रूप मे ग्राम पंचायत द्वारा 12000 रूपये प्रतिमाह के वेतन पर बतौर संविदा के रूप मे रख रखा है। ग्राम पंचायत मे लाईन मैन का कार्य करने से माह जुलाई एवं अगस्त 2025 का 24000 रूपये की राशि एवं मेन्टिनेन्स के रूपये बकाया है। उक्त राशि के भूगतान किये जाने की एवज मे ग्राम पंचायत मे पदस्थापित ग्राम विकास अधिकारी श्री अखिलेश कुमार मेरे से वेतन मे से 3000 रूपये प्रतिमाह के हिसाब से कुल 6000 रूपये तथा मेरे नाम से उक्त ग्रामो मे मेन्टिनेन्स किये गये कार्यो की 9840 रूपये की राशि की मांग बतौर रिश्वत के रूप मे कर रहा है। मै उसे रिश्वत

राशि नही देकर रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूं। उक्त प्राप्त शिकायत के संबंध मे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को कार्यालय के पते से अवगत कराते हुए अविलम्ब कार्यालय मे आने बाबत कहा गया। समय करीब 12.15 पीएम के आस पास परिवादी श्री कन्हैया लाल कार्यालय मे उपस्थित आया तथा एक लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि मैं प्रार्थी कन्हैया लाल पुत्र श्री अर्जुन लाल उम्र 30 वर्ष जाति गुर्जर निवासी ग्राम पिलानी ग्राम पंचायत सरमालिया तहसील ब्यावर जिला ब्यावर का रहने वाला हूं। मेरी ग्राम पंचायत सरमालिया की जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत गांव सरमालिया, सरगांव मे पानी खोलने हेतु लाईन मैन के रूप मे प्रति माह 12000 रूपये के हिसाब मे नियुक्त कर रखा है। मैं ग्राम पंचायत सरमालिया के ग्राम विकास अधिकारी श्री अखिलेश कुमार के अधीन कार्य करता हू। उनके द्वारा ही मुझे पंचायत से प्रतिमाह 12000 रूपये का चैक जारी कर भुगतान किया जाता है। वेतन के अतिरिक्त उक्त योजना मे मेन्टीनेन्स कार्य के खर्च राशि का भुगतान भी जरिये चैक मेरे खाते मे किया जाता है। प्रतिमाह वेतन से 3000 रूपये तथा मेरे खाते मे मेन्टीनेन्स की जमा राशि पूरी ही ग्राम विकास अधिकारी मेरे से ले रहे है। मेरा पिछले माह जुलाई/अगस्त 2025 का वेतन 24000 रूपये तथा मेन्टीनेन्स राशि 9840 रूपये जरिये चैक कल दिनांक 11.09.25 को बैंक मे जमा करवाये है। ग्राम विकास अधिकारी अखिलेश कुमार मेरे से उक्त भुगतान राशि के बदले मे मेरे से प्रतिमाह वेतन मे मे 3000 रूपये के हिसाब से 6000 रूपये तथा मेन्टीनेन्स की राशि 9840 रूपये की मांग कर रहा है। मैं अपने जायज काम के बदले मे उसे रिश्वत राशि नही देना चाहता हु, वरन उसे रिश्वत राशि लेतु हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहता हु। कानुनी कार्यवाही करे। परिवादी द्वारा प्रस्तुत शुदा प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो के संबंध मे दरियाफ्त की गई तो परिवादी ने उक्त प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा हस्तलिखित एवं हस्ताक्षरित होना बताया तथा अवगत कराया कि जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत मुझे ग्राम पंचायत सरमालिया द्वारा जरिये प्रस्ताव पारित कर ग्राम सरमालिया, सरगांव, नयासर, पिलानी के लिये संयुक्त रूप से लाईन मैन/की मैन का कार्य करने हेतु कुल 10000 रूपये तथा मानदेय के रूप मे वाहन भत्ता 2000 रूपये कुल 12000 रूपये प्रतिमाह के रूप मे नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त ग्राम विकास अधिकारी श्री अखिलेश कुमार प्रत्येक माह मेरे नाम से मेन्टीनेन्स कार्य के फर्जी बिल वाउचर बनाकर उक्त राशि मेरे खाते मे जमा करवाकर नगद ही प्राप्त कर रहा है। मैने उसे कई मर्तबा मना किया तो उसने मुझे धमकी दी कि मैं तुझे उक्त कार्य से हटा दूंगा, मैं जैसा कर रहा हूं, वैसे ही मुझे करने दे, तेरे को इससे कोई लेना देना नही है। मैं उसके अधीन कार्य करने की वजह से उससे डरकर उससे प्रतिमाह 3000 रूपये एवं मेन्टीनेन्स की राशि रिश्वत के रूप मे दे रहा हूं। उसने मेरे से पहले भी उक्त कार्य के बदले मे करीब 15 माह का वेतन 180000 रूपये का भुगतान होने पर मेरे से आनलाईन दिनांक 26.10.24 को 35500 रूपये तथा दिनांक 27.10.24 को 40000 रूपये का आनलाइन भुगतान प्राप्त किया है जिसकी मेरे मोबाईल से स्क्रीनशाट की प्रतियां एवं पंचायत द्वारा की-मैन के पद पर रखे जाने से संबंधित प्रस्ताव की स्वहस्ताक्षरित प्रति प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरा ग्राम पंचायत मे माह जुलाई एवं अगस्त 2025 का वेतन 24000 रूपये बकाया है। जिस बाबत मैं उससे कई बार मिला तो उसने मुझे कहा कि आप मुझे वेतन मे से 3000 रूपये प्रतिमाह एवं मेन्टीनेन्स की सम्पूर्ण राशि अपने खाते से निकाल कर दे देना। मैने उसे कहा कि साहब यह गलत है, मुझे सरकार द्वारा 12000 रूपये ही मिलते है तथा आप मेरे नाम से मेन्टीनेन्स राशि भी फर्जी उठा रहे है जो सीधी मेरे खाते मे डाल रहे है, तो उसने कहा कि मैं जैसा कहूं वैसा कर, नही तो तेरे को नौकरी मे हटा दूंगा। मैने उनको रिश्वत देने से मना कर दिया तो उन्होने मेरे को वेतन का भुगतान नही करने की धमकी दी। माह जुलाई/अगस्त 2025 के वेतन का भुगतान करने की एवज मे मेरे से प्रतिमाह 3000 रूपये के हिसाब से रिश्वत की मांग कर रहा है।मेरे व ग्राम विकास अधिकारी श्री अखिलेश कुमार के मध्य मोबाईल पर हुई वार्ता के अनुसार वह मेरे से रिश्वत राशि की मांग कर रहा है। मेरे व ग्राम विकास अधिकारी के मध्य मोबाईल पर हुई वार्ता मेरे मोबाईल फोन मे रिकार्ड है, जिसकी रिकार्ड वार्ता आपको पैन ड्राईव मे प्रस्तुत कर रहा हूं। ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 11.09.25 को 24000 रूपये वेतन राशि के तथा 9840 रूपये मेन्टीनेन्स राशि जरिये चैक जमा करवाये है। उक्त राशि जमा होने के पश्चात ग्राम विकास अधिकारी अखिलेश कुमार मेरे से 3000 रूपये प्रतिमाह के हिसाब से कुल 6000 रूपये रिश्वत राशि तथा 9840 रूपये मेन्टीनेन्स की राशि की मांग कर रहा है । मैं अपने जायज काम के बदले मे उसे रिश्वत राशि नही देना चाहता हूं तथा रंगे हाथो गिरफ्तार करवाना चाहता हूं। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो पर आवश्यक दरियाफत की गई तो परिवादी ने बताया कि मेरी आरोपी से किसी प्रकार की कोई रंजिश अथवा द्वेषभावना नही है एवं ना ही मेरी पंचायत के स्तर पर किसी प्रकार की कोइ राजस्व राशि अथवा अन्य कोई कर बकाया है। आरोपी से मेरा किसी प्रकार का कोई उधार का लेनदेन भी शेष नही है। परिवादी द्वारा प्रस्तुतशुदा पैन ड्राइव मे दर्ज आवाज को कार्यालय के लैपटाप की सहायता से सुना गया तो उसमे दर्ज आवाज के अनुसार परिवादी व आरोपी के मध्य रिश्वत राशि लेनदेन की वार्ता दर्ज होना पाई गई है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो के संबंध मे दरियाफ्त से मामला रिश्वत राशि के लेन देन का होना पाया जाने की संभावना से अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु रिश्वत राशि मांग का सत्यापन कराया जाना आवश्यक है। अत: परिवादी श्री कन्हैया लाल गुर्जर को रिश्वत राशि मांग सत्यापन करवाये जाने हेतु कहा गया तो बताया कि आरोपी शातिर एवं चालाक प्रवृति का है मेरे से मोबाईल से वार्ता नही कर आमने सामने ही वार्ता करेगा तथा वार्ता के दौरान मेरी तलाशी भी लेता है।परिवादी को आवश्यक समझाईश कर कार्यालय के श्री दामोदर कानि. को कार्यालय कक्ष मे तलब किया गया। दामोदर व परिवादी का आपस मे एक दूसरे से

परिचय करवाया जाकर की जाने वाली कार्यवाही से अवगत कराते हुए रिश्वत राशि मांग सत्यापन के निर्देश दिये गये। समय करीब 12.50 पीएम के आस पास अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय का सरकारी डिजिटल वाईस रिकार्डर मय एक नया खाली मैमोरी कार्ड ईश्यू कराकर मय डिजीटल वायस रिकार्डर के श्री दामोदर कानि. व परिवादी को उसके स्वयं के निजी वाहन से ब्यावर की और रवाना किया। परिवादी को गोपनीयता रखने की हिदायत की गई। समस्त हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किये गए। समय 02.50 पीएम पर कार्यालय के श्री दामोदर कानि ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरिये मोबाईल सूचना प्रदान की कि मैं व परिवादी कार्यालय से रवाना होकर समय करीब 02.10 पीएम के आस पास सरमालिया गांव के मुख्य चैराहे पर पहुंचे। जहां परिवादी को कार्यालय का डिजीटल वायॅस रिकार्डर मय खाली मैमोरी कार्ड संधारित कर चालू किया जाकर ग्राम पंचायत सरमालिया की और रवाना किया गया। मैं ग्राम पंचायत के आस पास ही अपनी उपस्थिति छिपाते हुए की जाने वाली वार्ता को देखने के प्रयास मे खडा रहा। थोडी देर बाद मे परिवादी ग्राम पंचायत से ग्राम विकास अधिकारी से वार्ता कर मेरे पास आया। मैने परिवादी से वायस रिकार्डर चालू हालात मे प्राप्त कर बन्द कर अपने कब्जे मे लिया तथा अवगत कराया कि मेरी ग्राम विकास अधिकारी श्री अखिलेश कुमार जी से वार्ता हो चुकी है। उन्होने मेरे से ग्राम पंचायत द्वारा मेरे दो माह के वेतन का भुगतान किये जाने के बदले मे प्रतिमाह 3000 रूपये के हिसाब से कुल 6000 रूपये रिश्वत राशि के तथा 9840 रूपये मेन्टीनेन्स राशि जो मेरे खाते मे जमा करवाई गई है की मांग की है, की गई वार्ता कार्यालय के वायस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड मे दर्ज है। डिजीटल वायस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड मे दर्ज आवाज को चालू कर सुना गया तो परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यो की ताईद हुई। मैमोरी कार्ड व वायस रिकार्डर सुरक्षित रखते हुए आपको सूचना प्रदान की है। प्राप्त निर्देशो की पालना मे मैं व परिवादी सरमालिया से कार्यालय के लिये रवाना हुआ। समय 03.55 पीएम पर कार्यालय के श्री दामोदर कानि. व परिवादी श्री कन्हैया लाल गुर्जर मय वायस रिकार्डर मुल मैमोरी कार्ड के कार्यालय मे उपस्थित आये। वायस रिकार्डर मय मूल मैमोरी कार्ड अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द कर रिश्वत राशि मांग सत्यापन के समय दर्ज हुई वार्ता के संबंध मे उपरोक्त हालात से अवगत कराया कि परिवादी से उसके वेतन भुगतान के बदले मे प्रतिमाह 3000 रूपये के हिसाब से कुल 6000 रूपये तथा 9840 रूपये मेन्टीनेन्स राशि की मांग की जा रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री कन्हैया लाल गुर्जर से रिश्वत राशि मांग सत्यापन के संबंध मे दर्ज हुई वार्ता एवं हालत के बारे मे पूछताछ की गई तो परिवादी ने बताया कि हम कार्यालय से रवाना होकर सरमालिया पहुंचे। श्री दामोदर जी द्वारा कार्यालय का डिजीटल वायस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड चालू व बन्द करने की आवश्यक समझाईश कर डिजीटल वायस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड सुपुर्द कर ग्राम विकास अधिकारी श्री अखिलेश कुमार से वार्ता करने हेतु ग्राम पंचायत की ओर रवाना किया। श्री अखिलेश कुमार ग्राम पंचायत मे ही अपने कार्यालय के पास स्थित आवास मे मौजूद थे तथा अजमेर जाने के लिये तैयार खडे थे। मैने उनके आवास पर जाकर वार्ता की तो उन्होने मेरे से दिनांक 11.09.25 को माह जुलाई व अगस्त के वेतन का 24000 रूपये का भुगतान किये जाने पर प्रतिमाह 3000 रूपये के हिसाब से कुल 6000 रूपये की रिश्वत राशि तथा शेष मेन्टीनेन्स राशि 9840 रूपये की मांग की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय के डिजीटल वायस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड मे दर्ज आवाज को चालू कर सुना गया तो आरोपी ने परिवादी से उसके वेतन भुगतान राशि 24000 रूपये मे से प्रतिमाह 3000 रूपये के हिसाब से कुल 6000 रूपये की रिश्वत राशि एवं मेन्टीनेन्स के जमा करवाये गये 9840 रूपये की मांग किये जाने की पुष्टि हुई। रिश्वत राशि मांग सत्यापन की वार्ता को सुने जाने पर आरोपी ने रिश्वत राशि दिनांक 15 से 18 तारीख तक ली जाने की पुष्टि की है। परिवादी श्री कन्हैया लाल गुर्जर को उक्त रिश्वत राशि लेनदेन के संबंध मे रिश्वत राशि पेश करने हेतु कहा गया तो परिवादी ने बताया कि आज मेरे पास राशि की व्यवस्था नही है मैं आईन्दा आरोपी ग्राम विकास अधिकारी के चाहे अनुसार रिश्वत राशि की व्यवस्था कर उपस्थित आ जाउंगा। परिवादी को आवश्यक हिदायत दी जाकर रिश्वत राशि की व्यवस्था कर दिनांक 15.09.2025 को उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर बाद आवश्यक हिदायत के रूखसत किया गया। मूल डिजीटल वायस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास सुरक्षित हालात मे रखा जाकर श्री दामोदर कानि को आवश्यक हिदायत कर स्टाफ को दिनांक 15.09.25 को कार्यालय मे उपस्थित रहने के निर्देश दिये गये। आईन्दा अग्रिम ट्रेप कार्यवाही सम्पादित की जावेगी। दिनांक 15.09.25 समय 10.15 एएम पर पाबन्दशुदा परिवादी श्री कन्हैया लाल गुर्जर उपस्थित कार्यालय आये व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि आज रिश्वत राशि 6000 रू0 एवं 9840 रूपये मेनटीनेन्स के लेकर आया हूं। मेरी उनसे रिश्वत राशि लेन-देन के सम्बन्ध मे पूर्व मे भी वार्ता हो चुकी है तथा वार्तानुसार उन्होने रिश्वत राशि दिनांक 15 से 18.09.25 के मध्य देने हेतु कहा है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा मुख्यालय के निर्देशानुसार श्रीमान अतिरिक्त महानिदेशक भ्रनिब्यूरो मुख्यालय राजस्थान जयपुर के द्वारा आज समय 11.00 एएम से अपराध गोष्ठी की मिटींग जरिये वीसी नियत की गई है। अतः अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा वीसी मे जाना आवश्यक होने से अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जाने हेतु मन उप अधीक्षक पुलिस को कक्ष मे तलब कर उपस्थित परिवादी श्री कन्हैया लाल गुर्जर से आपस मे परिचय करवाया जाकर की जाने वाली कार्यवाही के बारे मे अवगत कराते हुए बाद आवश्यक हिदायत के परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय संलग्न दस्तावेज,परिवादी द्वारा प्रस्तुत पैन ड्राईव, कार्यालय का वायस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड तथा रनिंग नोट सुपुर्द कर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जाने हेतु निर्देशित किया गया। परिवादी श्री कन्हैया लाल मन उप अधीक्षक पुलिस के पास कार्यालय हाजा मे मौजूद है। परिवादी श्री कन्हैया

लाल को मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा अपना परिचय दिया जाकर उससे उसका परिचय जान की जाने वाली कार्यवाही के संबंध मे प्रस्तुतशुदा प्रार्थना पत्र को पढकर प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो के संबंध मे दरियाफत की गई तो उपरोक्त तथ्यों की ताईद करते हुए मांग सत्यापन की मैमोरी कार्ड मे दर्ज वार्ता को चालू कर सुना गया तो रिश्वत राशि 6000 रूपये एवं 9840 रूपये मेन्टीनेन्स राशि की मांग की जाने की ताईद हुई। परिवादी से रिश्वत राशि की मांग की ताईद होने पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की प्रकिया के अनुसार मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा गवाहान की तलबी के लिए कार्यालय के श्री दामोदर कानि को तहरीर सुपुर्द कर कार्यालय के सरकारी वाहन व चालक श्री मनीष कुमार को कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक नियोजन विभाग अजमेर जोन अजमेर अजमेर के लिए रवाना किया गया। थोडी देर पश्चात श्री दामोदर कानि स्वतन्त्र गवाह तलब कर आया। उपस्थित गवाहान को मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अपना परिचय देकर उनका परिचय पूछा तो अपना नाम (1) श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री हीरा लाल जाति जाट उम्र 32 साल निवासी ग्राम जीणवार पुलिस थाना मारोठ तहसील नावां जिला डीडवाना कुचामन हाल वरिष्ठ सहायक (2) श्री दुर्गा प्रसाद पुत्र श्री गणपत लाल शर्मा जाति ब्राहम्ण उम्र 34 वर्ष निवासी मकान नम्बर 222 गेगल थाने के सामने गेगल जिला अजमेर हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक नियोजन विभाग अजमेर जोन अजमेर होना बताया। उपस्थित गवाहान को ट्रेप कार्यवाही के बारे में अवगत कराते हुए परिवादी व स्वतन्त्र गवाहान का आपस में एक दूसरे से परिचय करवाया गया। उपस्थित स्वतन्त्र गवाहान को परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं मांग सत्यापन के समय दर्ज की गयी वार्ता का मूल मैमोरी कार्ड निकाल कर की जाने वाली कार्यवाही के बारे मे अवगत कराया। परिवादी श्री कन्हैया लाल व आरोपी श्री अखिलेश कुमार ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सरमालिया पंचायत समिति जवाजा जिला ब्यावर के दौराने रिश्वत राशि मांग सत्यापन के समय हुई वार्ता दिनांक 12.09.25 जो कार्यालय के डिजीटल वायस रिकार्डर के मैमेारी कार्ड में दर्ज की गई है। अग्रिम कार्यवाही हेतु परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र गवाहान को पढकर सुनाया गया। गवाहान द्वारा प्रार्थना पत्र सुनकर एवं पढकर अंकित तथ्यों व संलग्न दस्तावेजो के बारे में परिवादी से पूछताछ कर गवाहान ने अपनी सन्तुष्टि जाहिर करते हुए स्वतन्त्र गवाह रहने की सहमति प्रदान की। डिजिटल वाईस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में दर्ज वार्ता दिनांक 12.09.25 को रिश्वत राषि मांग सत्यापन के समय रूबरू आपस में एक-दूसरे से हुई दर्ज वार्ता को चलाकर सुनाया गया तो गवाहान ने आरोपी श्री अखिलेश कुमार द्वारा परिवादी श्री कन्हेया लाल गुर्जर के ग्राम पंचायत सरमालिया मे जल जीवन मिशन योजना के तहत की मैन के पद पर पदस्थपित होने से गत माह जुलाई, अगस्त 2025 का वेतन भुगतान किये जाने के बदले मे प्रतिमाह वेतन मे 3000 रूपये की रिश्वत राशि की मांग कर कुल दो माह के 6000 रूपये तथा 9840 रूपये मेन्टीनेन्स राशि की मांग किये जाने की ताईद हुई। ब्यूरो की प्रक्रियानुसार समय 04.15 पीएम पर कार्यालय के श्री दामोदर कानिस्टेबल से वाईस रिकार्डर में मूल मैमोरी कार्ड को डालकर वाईस रिकार्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर की सहायता से आपरेट कर परिवादी व स्वतन्त्र गवाहान की उपस्थिति में रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट शब्द-ब-शब्द तैयार की गई। फर्द पर संबंधित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त मूल मैमोरी कार्ड में दर्ज आवाज की हेश वेल्यू कार्यालय के लेपटाप से निकाली जाकर प्रिण्ट पर सम्बन्धित गवाहान के हस्ताक्षर कराये जाकर शामिल पत्रावली किये गए। मूल मैमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई वार्ता को कार्यालय के कम्प्यूटर की सहायता से तीन पैन ड्राईव तैयार करवाये गये। मूल मैमोरी कार्ड को निरन्तरता की जांच के लिये कपड़े की थेली मे डालकर एफ0एस0एल0 हेतु, एक पैन ड्राईव को कपड़े की थेली में डालकर न्यायालय हेतु तथा दूसरे पैन ड्राईव को कपड़े की थेली में पृथक मे डालकर आरोपी हेतु सिल्ड किया जाकर सील चिट पर संबंधित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जाकर जमा मालखाना किया गया। शेष अन्य तीसरे पेन ड्राईव को कागज के लिफाफे में रख कर अनुसंधान अधिकारी हेतु शामिल पत्रावली किया गया। परिवादी श्री कन्हैया लाल को रिश्वत राशि लेनदेन की कार्यवाही हेतु कहा गया तो उन्होने अवगत कराया कि आज कार्यवाही मे अधिक समय हो चुका है तथा आरोपी के कार्यालय पहुंचने पर आरोपी भी अपने कार्यालय से चला जायेगा। अतः आज रिश्वत राशि लेनदेन की कार्यवाही की जाना उचित नही है। अतः परिवादी, कार्यालय स्टाफ, स्वतन्त्र गवाह को गोपनीयता बनाये रखते हुए दिनांक 16.09.25 को प्रातः 08.30 एएम पर कार्यालय मे उपस्थित आने के निर्देश देकर रूखसत किया गया।आईन्दा परिवादी के उपस्थित आने पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही अमल में लाई जायेंगी। दिनांक 16.09.25 समय 08.45 एएम पर पाबन्दशुदा परिवादी श्री कन्हैया लाल गुर्जर व पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाह व कार्यालय स्टाफ कार्यालय मे उपस्थित आ चुके है। उप अधीक्षक पुलिस को परिवादी श्री कन्हैया लाल ने बताया कि मे आज रिश्वत राशि 6000 रू0 आरोपी को देने के लिए लेकर आया हॅू। मेरी उनसे रिश्वत राशि लेन-देन के सम्बन्ध मे पूर्व मे भी वार्ता हो चुकी है तथा उनको रिश्वत राशि देकर कार्यवाही की जा सकती है। मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जाने हेतु परिवादी श्री कन्हैया लाल को रिश्वत राशि पेश करने हेतु कहा तो उसने गवाहान के समक्ष आरोपी श्री अखिलेश कुमार को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहा तो परिवादी श्री कन्हैया लाल ने अपनी जेब में से निकाल कर पांच-पांच सौ रूपये के 12 नोट कुल 6000 रूपये एवं 9840 रूपये के प्रचलित भारतीय मुद्रा के नोट राशि प्रस्तुत कीं। प्रस्तुतशुदा रिश्वती राशि 6000 रूपये के नोटों के नम्बर फर्द में अंकित कर नोटो के दोनों ओर कार्यालय के श्री तुलछाराम हैड कानि से फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाकर सोडियम कार्बोनेट एवं फिनोफ्थलीन पाउडर की रसायनिक प्रक्रिया को समझाया जाकर फर्द पेशकषी एवं सुपुर्दगी नोट व दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर

अलग से तैयार की जाकर संबंधित गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 10.15 एएम पर मन उप अधीक्षक पुलिस, मय हमराहियान स्टाफ श्री नरेन्द्र कुमार उप निरीक्षक पुलिस, श्री कन्हैयालाल स.उ.नि., श्री बुधराज स.उ.नि. ,श्री दामोदर कानि0 नं0 435, श्री लखन कानि0, श्री अर्जुन कानि, अजीत सिंह कानि, परिवादी श्री कन्हैया लाल व स्वतन्त्र गवाह श्री सुरेश कुमार व श्री दुर्गा प्रसाद कार्यालय के सरकारी एवं प्राइवेट वाहन मय वाइस रेकार्डर मय नया खाली मैमोरी कार्ड इश्यू करवाकर कार्यालय के श्री मनीष कुमार चालक के सरकारी वाहन बोलेरो व प्राईवेट वाहन से मय ट्रेप बाक्स, लेपटाप व प्रिन्टर के बाद आवष्यक हिदायत के सरमालिया ब्यावर की ओर रवाना हुए। मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान गवाहान परिवादी व स्टाफ के ग्राम पंचायत सरमालिया के पास पहुंचे। जहां परिवादी श्री कन्हैया लाल को कार्यालय का डिजीटल वायस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड संधारित कर चालू किया जाकर सुपुर्द किया गया तथा बाद आवश्यक हिदायत के परिवादी को रिश्वत राशि देने हेतु ग्राम पंचायत के लिये रवाना किया गया तथा मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के कार्यालय के वाहनों को साईड मे खडा कर कार्यालयय ग्राम पंचायत के आस पास ही खडे होकर परिवादी के निर्धारित ईशारे के इन्तजार मे मुकिम रहे। समय करीब 11.23 एएम पर परिवादी श्री कन्हैया लाल ने कार्यालय ग्राम पंचायत सरमालिया मे बने हुए ग्राम विकास अधिकारी के निवास स्थान की और के परिसर मे से आते हुए मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान स्टाफ को देखते हुए अपने सिर पर हाथ फेरकर रिश्वत राशि प्राप्ति का पूर्व निर्धारित ईशारा किया। ईशारे को पाकर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान स्टाफ सर्व श्री नरेन्द्र कुमार उनि, श्री कन्हैया लाल सउनि, श्री बुधराज सउनि, श्री अजीत सिंह कानि, श्री लखन कानि0,श्री अर्जुन लाल कानि0, श्री दामोदर कानि मय दोनो स्वतंत्र गवाहान को हमराह लेकर परिवादी के पास ग्राम पंचायत भवन परिसर मे पहुंचे। जहां परिवादी श्री कन्हैया लाल ने मन उप अधीक्षक पुलिस को कार्यालय का सरकारी डिजीटल वायस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड चालू हालत मे निकालकर प्रस्तुत किया। जिसे मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा बन्द कर अपने पास सुरक्षित हालात मे रखा, तत्पश्चात परिवादी श्री कन्हैया लाल ने मन उप अधीक्षक पुलिस को अवगत कराया कि श्री अखिलेश कुमार अपने निवास स्थान पर मौजूद है तथा खाना खाने की तैयारी कर रहे है। मेरे द्वारा श्री अखिलेश कुमार ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा मांगे जाने पर रिश्वत राशि के 6000 रूपये तथा 9840 रूपये मेन्टीनेन्स राशि अपनी पहनी हुई पेन्ट की जेब से निकालकर पृथक-पृथक राशि कुल 15840 रूपये अखिलेश कुमार को दी है, जो राशि उसने मेरे से प्राप्त कर अलग-अलग ही गिनकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की सामने की बायी जेब मे रखी है। रिश्वत राशि प्राप्त करने के उपरान्त मैने बाहर आकर आपको निर्धारित ईशारा किया है। परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यो के आधार पर परिवादी श्री कन्हैया लाल को हमराह लेकर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान स्टाफ, गवाहान के आरोपी के ग्राम पंचायत परिसर मे बने हुए आवास पर पहुंचे। जहां आरोपी ने अपने निज आवास का दरवाजा बन्द कर रखा है, उक्त बन्द दरवाजे की कुन्दी बजाई जाने पर अन्दर से एक व्यक्ति चश्मा लगाये हुए दरवाजे को खोलकर बाहर आया। उक्त व्यक्ति को मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा अपना व हमराहीयान स्टाफ, गवाहान व परिवादी का परिचय दिया जाकर उससे उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम अखिलेश कुमार पुत्र श्री श्याम लाल बैरवा उम्र 42 वर्ष जाति बैरवा निवासी मकान नम्बर 16/19 डिफेन्स कालोनी सीआरपीसी जीसी 2 के पास फाय सागर रोड बोराज पुलिस थाना हरिभाउ उपाध्याय नगर अजमेर हाल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सरमालिया पंचायत समिति जवाजा तहसील व जिला ब्यावर होना अवगत कराया। मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्री अखिलेश कुमार को परिवादी का परिचय दिया जाकर उससे प्राप्त की गई रिश्वत राशि 6000 रूपये तथा 9840 रूपये मेन्टीनेन्स राशि के प्राप्त किये जाने के संबंध मे पूछा तो आरोपी श्री अखिलेश कुमार चुप रहा तथा कुछ नही बोला। मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी को तसल्ली देकर रिश्वत राशि प्राप्त किये जाने के संबंध मे पूछताछ की तो आरोपी ने अपने स्पष्टीकरण मे बताया कि अभी थोडी देर पहले श्री कन्हैया लाल मेरे पास आये थे, जिन्होने मेरे को 6000 रूपये एवं 9840 रूपये कुल 15840 रूपये दिये है। जो मेरे द्वारा गिनकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की सामने की बायी जेब मे रखे है। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा प्राप्त की गई रिश्वत राशि 6000 रूपये व 9840 रूपये के संबंध मे पूछा की आपने उक्त रूपये परिवादी श्री कन्हैया लाल से किस बात के लिये है। तो आरोपी चुप रहा कुछ नही बोला तथा सोच समझ कर बताया कि श्री कन्हैया लाल द्वारा जो रूपये दिये गये है उक्त राशि मेरे द्वारा कन्हैया लाल को उधार की दी गई बकाया राशि है। तथा जो 9840 रूपये अलग मे दिये है उक्त राशि श्री कन्हैया लाल के द्वारा ग्राम सरमालिया के जेजेएम योजना के अन्तर्गत मेन्टीनेन्स के खरीद की गई राशि के सामान के बिल दिये जाने पर उक्त 9840 रूपये राशि संबंधित को भुगतान किये जाने हेतु मुझे दी गई है। उपस्थित परिवादी श्री कन्हैया लाल ने आरोपी की उक्त वार्ता का स्वतः ही खण्डन करते हुए बताया कि साहब अखिलेश कुमार जी झुठ बोल रहे है। मैने इनसे किसी प्रकार की कोई राशि उधार नही ली है। मेरा इनसे किसी प्रकार का कोई लेनदेन भी नही है। ग्राम पंचायत मे मेरे द्वारा की-मैन के पद पर कार्य करने के बदले मे प्रतिमाह 12000 रूपये वेतन के रूप मे दिये जाने पर नियुक्त किया हुआ है जिसके मेरे ग्राम पंचायत मे गत माह जुलाई/अगस्त 2025 के वेतन के कुल 2 माह के 12000 रूपये के हिसाब से 24000 रूपये का भुगतान दिनांक 11.09.25 को किया है, उक्त भुगतान किये जाने के बदले मे श्री अखिलेश कुमार जी ने मेरे से 3000 रूपये प्रतिमाह के हिसाब से कुल 6000 रूपये की रिश्वत राशि की मांग की थी। जो मैने इनको इनकी मांग के अनुसार ही आज 6000 रूपये एवं मेन्टीनेन्स राशि के 9840 रूपये दिये है। मैने ग्राम पंचायत सरमालिया मे

किसी भी प्रकार का कोई मेन्टीनेन्स का बिल बनाकर इनको नही दिया है, उक्त 9840 रूपये जो मेन्टीनेन्स राशि के है। उक्त राशि के फर्जी बिल बनाकर मेरे खाते मे जमा करवाये है, जो इन्होने मेरे से नगद ही प्राप्त किये है। आरोपी श्री अखिलेश कुमार को परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यो के संबंध मे पुनः 6000 रूपये एवं 9840 रूपये के बारे मे पूछताछ की तो आरोपी अखिलेश कुमार चुप रहे तथा कुछ नही बोले, बाद मे सोच समझ कर बताया कि उक्त 9840 रूपये मेरे को श्री गौरीशंकर को भुगतान किये जाने है, जो राशि मैने इनके खाते मे जमा करवाई थी। मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्री गौरीशंकर के संबंध मे पूछा तो बताया कि गोरीशंकर ग्राम पंचायत सरमालिया मे ही कार्य करता है। इस पर पास ही उपस्थित परिवादी श्री कन्हैया लाल ने आरोपी की उक्त वार्ता का खण्डन करते हुए बताया कि यह झूठ बोल रहे है। गौरीशंकर का किसी प्रकार का कोई भुगतान बकाया नही है, उसको ग्राम पंचायत द्वारा 1000 रूपये प्रतिमाह के रूप मे जेजेएम योजना मे सहायक के रूप मे लगा रखा है। मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी को पूछा कि अगर गौरीशंकर का पेमेन्ट बकाया है तो उक्त राशि आपने परिवादी श्री कन्हैया लाल के खाते मे कैसे जमा करवाई है। उक्त राशि संबंधित गौरीशंकर के खाते मे ही जमा होनी चाहिये थी। इस पर आरोपी श्री अखिलेश कुमार ने किसी प्रकार का कोई प्रतिउत्तर नही दिया तथा चुप रहा। आरोपी मे परिवादी के खाते मे जमा करवाये गये 24000 रूपये के संबंध मे पूछा तो उसने बताया कि उक्त राशि परिवादी के माह जुलाई व अगस्त 2025 के वेतन की जमा करवाई गई राशि है, परन्तु परिवादी को वेतन के रूप मे माह जुलाई व अगस्त 2025 के प्रतिमाह 8000 रूपये के हिसाब मे भुगतान किया जाना था। जिसको लेकर मेरे व परिवादी कन्हैया लाल के मध्य बातचीत भी हुई थी। मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा मौके पर उपस्थित परिवादी कन्हैया लाल से प्रतिमाह 8000 रूपये वेतन दिये जाने के संबंध मे पूछा तो बताया कि यह झूठ बोल रहे है मेरा ग्राम पंचायत द्वारा प्रतिमाह 10000 रूपये तथा 2000 रूपये कन्वेन्स अलाउन्स दिये जाने का प्रस्ताव पारित हो रखा है तथा पंचायत द्वारा किसी प्रकार का कोई 12000 रूपये से 8000 रूपये वेतन किया जाने का कोई प्रस्ताव नही लिया गया है। परिवादी द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण के संबंध मे आरोपी से पूछा तो आरोपी ने बताया कि कन्हैया लाल सही कह रहा है उसके 12000 रूपये से 8000 रूपये वेतन दिये जाने के संबंध मे किसी प्रकार का कोई प्रस्ताव पंचायत द्वारा नही लिया गया है। आरोपी द्वारा रिश्वत राशि 6000 रूपये एवं 9840 रूपये मेन्टीनेन्स राशि परिवादी से प्राप्त कर अपनी पहनी हुई पेन्ट की सामने की बायी जेब मे रखी होना स्वीकार किये जाने पर रिश्वत राशि की पुर्ण तार्ईद होने पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही के क्रम मे स्वतंत्र गवाह श्री दुर्गा प्रसाद से आरोपी की पेन्ट की सामने की बायी जेब मे रखी हुई राशि को निकलवाया जाकर उक्त नोटो को गिनवाया गया तो पाये गये उक्त नोट 500-500 रूपये में दो अलग अलग फोल्ड किये हुए मुद्रा मे रखे होना पाये गये। जिनमे से उक्त 500-500 रूपये के नोटो की एक पृथक राशि को गवाहान से गिनवाया गया तो उक्त 500-500 रूपये के 12 नोट होकर कुल 6000 रूपये तथा अन्य पृथक 500-500 रूपये की राशि के फोल्ड बण्डल को गिनवाया गया तो 500-500 रूपये के कुल 19 नोट व 200 रूपये का 01 नोट 100 रूपये का 01 नोट , 20 रूपये के 02 नोट कुल 9840 रूपये होना पाया गया। उक्त 6000 रूपये की रिश्वत राशि व 9840 रूपये मेन्टीनेन्स राशि के बरामद होने पर मौके पर कार्यालय ग्राम पंचायत सरमालिया के परिसर मे अन्य राजकीय कार्यालय के पटवार घर, डेयरी द्वारा संचालित कार्यालय स्वास्थ्य केन्द्र, आंगनबाडी केन्द्र एवं पंचायत परिसर संचालित होने से काफी संख्या मे भीड-भाड एकत्रित होने से व्यवधान होने की संभावना को मध्यनजर रखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की जाने हेतु श्री अखिलेश कुमार के दोनो हाथो को क्रमश पौचो के उपर से बायां व दाहिना हाथ श्री दामोदर कानि0 व श्री अर्जुन कानि0 से पकडवाये जाकर प्राइवेट वाहन मे बैठाकर बरामदशुदा माल वजह सबूत मय मुलजिमान के ग्राम पंचायत सरमालिया से रवाना होकर समय करीब 11.45 एएम पर पुलिस थाना ब्यावर सदर पर पहुंचे। जहां थानाधिकारी को की जाने वाली कार्यवाही के बारे मे अवगत कराते हुए अग्रिम ट्रेप कार्यवाही सम्पादित की जाने हेतु कक्ष की व्यवस्था के लिये निर्देश दिये गये। जिस पर थानाधिकारी द्वारा थाना कम्पयूटर कक्ष मे बैठकर कार्यवाही की जाने हेतु कक्ष उपलबध करवाया गया। अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की प्रकियानुसार पुलिस थाना ब्यावर सदर से एक साफ जग मे साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर ट्रेप बाक्स मे से दो पारदर्शी प्लास्टिक के गिलास निकलवाये गये। उक्त पारदर्शी प्लास्टिक के दोनो गिलासो को साफ पानी से धुलवाया गया। दोनो पारदर्शी गिलासो मे आधा-आधा साफ पानी भरवाया जाकर गिलासो मे एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया उक्त घोल को उपस्थितगणो ने रंगहीन होना स्वीकार किया। जिसमे अलग-अलग पारदर्शी प्लास्टिक के गिलासो के घोल में आरोपी श्री अखिलेश कुमार के दाहिने व बांये हाथ की अंगुलियो एवं अंगूठे को बारी-बारी से डुबोकर धुलवाया गया तो दाहिने व बाए हाथो की अंगुलियो व अगुठे के धोवण का रंग क्रमश गुलाबी प्राप्त हुआ, जिसे उपस्थितगणों ने गुलाबी होना स्वीकार किया। तत्पश्चात चार कांच की साफ शीशियो को साफ कर दाहिने हाथ के धोवण को दो शीशीयो में आधा-आधा भरकर व बायें हाथ के धोवण को दो शीशीयों में आधा-आधा भरकर चारों शीशीयों को सील्ड चिट किया जाकर दाहिने हाथ के धोवण को क्रमशः मार्क आरएच 1, आरएच 2 एवं बांये हाथ के धोवण को क्रमशः मार्क एलएच 1 व एलएच 2 से चिन्हित कर चिट व कपडे पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर उपरोक्त चारो शिशिया कब्जे एसीबी ली गई तथा प्रयुक्त पारदर्शी प्लास्टिक के गिलासो को नष्ट कराया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री अखिलेश कुमार के वरवक्त शरीर पर पहनी हुई पेन्ट की सामने की बायी जेब मे रिश्वत राशि 6000 रूपये एवं 9840 रूपये मेन्टीनेन्स राशि बरामद हुई है उक्त बरामदशुदा रिश्वत राशि नोटो को स्वतंत्र गवाह श्री

दुर्गा प्रसाद के सुपुर्द किये गये थे उक्त गवाह से बरामदशुदा नोटो को दोनों स्वतन्त्र गवाहान से पूर्व मे बनायी गई फर्द पेशकशी रिश्वत राशि मे मिलान कराया गया तो बरामदशुदा नोटो मे से एक पृथक फोल्डशुदा 500-500 रूपये के कुल 12 नोट के नम्बर फर्द पेशकशी के अनुरूप हूबहू होना पाये गये। बरामदशुदा नोटों का विवरण इस प्रकार हैं 1 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1 जीएम 670437 2 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1 जीएम 670438 3 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1 जीएम 670439 4 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1 जीएम 670440 5 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1 जीएम 670441 6 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1 जीएम 670442 7 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1 जीएम 670443 8 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1 जीएम 670444 9 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1 जीएम 670445 10 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1 जीएम 670446 11 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1 जीएम 670447 12 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1 जीएम 670448 उपरोक्त बरामदशुदा रिश्वती राशि नोट 6000 रूपये पर कपडे की चिट लगाकर चिट पर संबन्धित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क एन-1 मे चिन्हित किया जाकर कब्जा एसीबी लिये गये। आरोपी श्री अखिलेश कुमार ग्राम विकास अधिकारी के पहनी हुई पेन्ट की जेब मे 9840 रूपये की मेन्टीनेन्स राशि भी बरामद हुई है, उक्त राशि को आरोपी द्वारा फर्जी बिल बनाकर खाते मे जमा करवाये जाने पर 9840 रूपये नगद ही प्राप्त करने पर उक्त राशि संदेहास्पद होने से उक्त बरामदशुदा 9840 रूपये की राशि नोटो पर पृथक से कपडे की चिट लगाकर चिट पर संबंधित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क एन-2 मे चिन्हित कर कब्जा एसीबी लिये गये। अग्रिम ट्रेप कार्यवाही के तहत आरोपी श्री अखिलेश कुमार की जामा तलाशी श्री दुर्गा प्रसाद से लिवायी गई तो आरोपी के बरवक्त ट्रेप कार्यवाही के दौरान जामा तलाशी मे पाये गये सामान व मोबाईल फोन आरोपी श्री अखिलेश कुमार को लौटाये गये। आरोपी श्री अखिलेश कुमार के ट्रेप कार्यवाही के दौरान रिश्वत राशि 6000 रूपये एवं 9840 रूपये मेन्टीनेन्स राशि के बरामद होना पाये जाने से अग्रिम ट्रेप प्रकिया के अनुसार आरोपी के पहनी हुई पेन्ट के सामने की बायी जेब के धोवन का मिश्रण प्राप्त किया जाना है, अतः प्रकिया के अनुसार आरोपी के लिये अन्य पेन्ट की व्यवस्था कर पहनी हुई पेन्ट को ससम्मान उतरवाया जाकर रासायनिक प्रकिया के अनुसार पुलिस थाना ब्यावर सदर मे एक साफ जग मे साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर ट्रेप बाक्स मे से एक पारदर्शी प्लास्टिक का गिलास निकलवाया गया। उक्त पारदर्शी प्लास्टिक के गिलास को साफ पानी से धुलवाया गया। पारदर्शी गिलास मे आधा साफ पानी भरवाया जाकर गिलास मे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया, उक्त घोल को उपस्थितगणो ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त पारदर्शी प्लास्टिक के गिलास के घोल में आरोपी श्री अखिलेश कुमार के शरीर पर पहनी हुई पेन्ट की बायी जेब को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवण का रंग गुलाबी प्राप्त हुआ, जिसे उपस्थितगणों ने गुलाबी होना स्वीकार किया। तत्पश्चात दो साफ कांच की शीशियो को साफ कर प्राप्त धोवण को दो शीशीयो में आधा-आधा भरकर सील्ड चिट किया जाकर क्रमशः मार्क पी 1, पी 2 से चिन्हित कर चिट व कपडे पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। प्रयुक्त किये गये पारदर्शी प्लास्टिक के गिलासो को मौके पर नष्ट कराया गया। उक्त बरामदशुदा पेन्ट बरंग ग्रे जिसके सामने की बायी जेब से रिश्वत राशि बरामद हुई है, उक्त पेन्ट की सामने की बायी जेब को सुखाकर जेब पर संबंधित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जाकर पेन्ट की तह बनाकर पेन्ट को एक कपडे की थैली मे सिल्डचिट कर संबंधित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जाकर मार्क पी मे चिन्हित कर पेन्ट पैकेट को कब्जे एसीबी लिया गया। आरोपी श्री अखिलेश कुमार को परिवादी के गत माह जुलाई/अगस्त 2025 के वेतन भुगतान एवं मेन्टीनेन्स राशि 9840 रूपये के भुगतान किये जाने के बिलो के संबंध मे पूछताछ की गई तो आरोपी ने बताया कि उक्त वेतन भुगतान एवं मेन्टीनेन्स के बिल कार्यालय ग्राम पंचायत सरमालिया मे रखे हुए है। मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा समय करीब 03.00 पीएम के आस पास आरोपी, स्वतन्त्र गवाहान व हमराहीयान स्टाफ को साथ लेकर कार्यालय ग्राम पंचायत सरमालिया पर पहुंचे। जहां आरोपी के निज आवास के खाना तलाशी ली गई तो दौराने खाना तलाशी आरोपी का निज आवास पटवारी सरमालिया का कार्यालय होकर आरोपी का निवास करना पाया गया। आरोपी के निवास स्थान पर पहनने के इस्तेमाली कपडे, दो लोहे की चारपाई, दो कुर्सी टेबिल के अतिरिक्त किसी प्रकार का कोई आपतिजनक सामान नही होना पाया गया। जिसकी फर्द खाना तलाशी पृथक से बनाई जाना उचित प्रतीत नही होने से मुर्तिब नही की गई। प्रकरण हाजा मे आवश्यक वांछित रिकार्ड प्राप्त किया जाने हेतु ग्राम पंचायत सरमालिया के कार्यालय से ग्राम पंचायत सरमालिया के ग्राम पंचायत कार्यवाहीयो का बैठक रजिस्टर दिनांक 06.02.23 से 16.07.2025 तक, जेजेएम योजना सरगांव की रोकड पुस्तिका दिनांक 04.05.2023 से 05.05.25 तक, ग्राम पंचायत सरमालिया की ग्राम सभा रजिस्टर दिनांक 27.07.22 से 16.07.2025 तक, कार्यालय ग्राम पंचायत के कर्मचारी उपस्थिति पंजिका माह मार्च 2025 मे 16.09.2025 तक का कार्यालय रिकार्ड स्वतन्त्र गवाहान की मौजूदगी मे प्राप्त कर कार्यालय ग्राम पंचायत सरमालिया से समय करीब 04.00 पीएम के आस पास पुनः पुलिस थाना सदर पर पहुंचा। ग्राम पंचायत सरमालिया द्वारा जब्तशुदा रिकार्ड के संबंध मे आरोपी श्री अखिलेश कुमार से पूछताछ की गई तो अखिलेश कुमार ने ग्राम पंचायत सरमालिया के उपरोक्त रिकार्ड को देखकर बताया कि श्री कन्हैया लाल गुर्जर को ग्राम पंचायत सरमालिया के द्वारा जेजेएम योजना के अन्तर्गत जो 9840 रूपये की मेन्टीनेन्स राशि का भुगतान किया गया है, उक्त राशि के मूल बिल एवं भुगतान किये जाने से संबंधित किसी प्रकार का कोई रिकार्ड मे इन्द्राज नही है। उक्त राशि मेरे द्वारा सरपंच के द्वारा मौखिक रूप से कहे अनुसार ही श्री कन्हैयालाल के खाते मे

जरिये चैक जमा करवाई जाकर भुगतान किया गया है। श्री कन्हैया लाल को वेतन के रूप मे जो राशि माह जुलाई/अगस्त 2025 तक 24000 रूपये का भुगतान दिनांक 11.09.25 को किया गया है, उक्त भुगतान किये जाने के संबंध मे कार्यालय ग्राम पंचायत के रिकार्ड के अनुसार ग्राम पंचायत बैठक रजिस्टर मे किसी प्रकार का कोई प्रस्ताव एवं वेतन भुगतान करने मे संबंधित कोई इन्द्राज नही है। प्राप्त रिकार्ड का अवलोकन किये जाने पर ग्राम पंचायत सरमालिया के जेजेएम योजना सरगांव के रजिस्टर मे दिनांक 05.05.2025 तक, बैठक कार्यवाही का विवरण दिनांक 16.07.25, ग्राम सभा रजिस्टर मे दिनांक 16.07.2025 तक, की बैठको का इन्द्राज किया हुआ है। उपरोक्त ग्राम पंचायत सरमालिया मे प्राप्त रिकार्ड के अनुसार परिवादी श्री कन्हैया लाल को जो वेतन राशि एवं मेन्टीनेन्स राशि 9840 रूपये का भुगतान दिनांक 11.09.25 को किया गया है उससे संबंधित किसी प्रकार की कोई बैठक, निर्णय, प्रस्ताव नही लिया गया है एवं ना ही उक्त राशि के भुगतान उठाने मे संबंधित कोई भी बिल वाउचर कार्यालय स्तर मे मौजूद है। उक्त भुगतान किये जाने के संबंध मे आरोपी से मौके पर पूछताछकी गई तो बताया कि मैने उक्त राशि सरपंच के कहे अनुसार ही मौखिक रूप से भुगतान की है, जिनका किसी प्रकार का कोई बिल पंचायत पर मौजूद नही है। आरोपी द्वारा मौके पर उक्त रिकार्ड के संबंध मे दिये गये स्पष्टीकरण एवं जब्तशुदा रिकार्ड के आधार पर परिवादी के कार्य वेतन भुगतान एवं मेन्टीनेन्स राशि मे संबंधित कोई रिकार्ड नही होना पाये जाने पर उक्त मूल रिकार्ड जब्त किया जाना आवश्यक हैं। अतः प्रकरण हाजा मे वांछित मूल रिकार्ड (1) कार्यालय ग्राम सरमालिया के ग्राम सभा बैठक रजिस्टर जुलाई 2022 से दिनांक 16.07.25 पेज संख्या 01 से 78 तक भरा हुआ शेष खाली (2)बैठक की कार्यवाहियो का रजिस्टर वर्ष 2023 से 2025 तक दिनांक 16.02.23 से दिनांक 16.07.2025 तक पेज संख्या 1 से 58 तक भरा हुआ शेष खाली (3) जेजेएम योजना सरगांव के पंचायत रोकड बही दिनांक 04.05.23 से 05.05.25 तक पेज संख्या 1 मे 04 तक भरा हुआ शेष खाली तक (4) कार्यालय ग्राम पंचायत सरमालिया की कर्मचारी उपस्थिति पंजिका माह मार्च 2025 से दिनांक 16.09.25 तक संधारित पेज संख्या 1 से 08 तक भरा हुआ शेष खाली के मूल रिकार्ड के प्रथम एवं अन्तिम पृष्ठो पर संबंधित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जाकर उपरोक्त क्रम संख्या 01 मे 04 तक का मूल रिकार्ड वास्ते वजह सबूत कब्जे एसीबी लिया गया। मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी श्री अखिलेश कुमार को आज दिनांक 16.09.25 को वक्त रिश्वत राशि लेन-देन के समय हुई दर्ज वार्ता को कार्यालय के डिजीटल वायस रिकार्डर मे मैमोरी कार्ड संधारित कर गवाहान व परिवादी के समक्ष आरोपी को सुनाई गई तो आरोपी ने दर्ज आवाज मे से एक आवाज अपनी व दूसरी आवाज परिवादी श्री कन्हैया लाल की होना स्वीकार किया। वक्त रिष्वत राषि लेन-देन के समय आज दिनांक 16.09.25 को दर्ज की गई वार्ताओं की फर्द ट्रांस्क्रिप्ट आईन्दा तैयार कर शामिल पत्रावली की जावेंगी। आरोपी लोकसेवक श्री अखिलेश कुमार पुत्र श्री श्याम लाल बैरवा उम्र 42 वर्ष जाति बैरवा निवासी मकान नम्बर 16/19, फाय सागर रोड जीसी 2 के पास, पुलिस थाना हरिभाउ उपाध्याय नगर जिला अजमेर की खाना तलाषी लिए जाने हेतु उच्चाधिकारीयो के निर्देशानुमार श्री नरेन्द्र सिंह निरीक्षक पुलिस, भ्र0नि0ब्यूरो, अजमेर को निर्देशित किया हुआ है, जिसकी फर्द खाना तलाशी प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। उपरोक्त समस्त कार्यवाही की विडियोग्राफी कार्यालय के श्री अजीत सिंह कानि 05 एसीबी स्पेशल यूनिट अजमेर के द्वारा कार्यालय के सरकारी मोबाईल फोन मे मैमोरी कार्ड संधारित कर करवाई जाकर मूल मैमोरी कार्ड की हैश वैल्यू निकाली जाकर शामिल कार्यवाही की गई। मूल मैमोरी कार्ड से कार्यालय के लेपटाप की सहायता से दो पैन ड्राईव पृथक से तैयार किये गये। जिनमे से मूल मैमोरी कार्ड माननीय न्यायालय हेतु तथा एक पैन ड्राईव आरोपी हेतु पृथक से पृथक कपडे की थैली मे सिल्डचिट कर संबंधित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे एसीबी लिया गया शेष अन्य एक पेन ड्राईव को कागज के लिफाफे मे रखकर अनुसंधान अधिकारी हेतु शामिल पत्रावली किया गया है। उपरोक्त तथ्यों एवं सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री कन्हैया लाल पुत्र श्री अर्जुन लाल उम्र 30 वर्ष जाति गुर्जर निवासी ग्राम पिलानी ग्राम पंचायत सरमालिया तहसील व जिला ब्यावर हाल की-मैन ग्राम पंचायत सरमालिया पंचायत समिति जवाजा जिला ब्यावर का माह जुलाई/अगस्त 2025 के दो माह का 12000 रूपये प्रतिमाह के हिसाब से कुल 24000 रूपये का वेतन भुगतान किये जाने की एवज मे आरोपी श्री अखिलेश कुमार ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सरमालिया, पंचायत समिति जवाजा जिला ब्यावर द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर परिवादी से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 12.09.25 को प्रतिमाह 3000 रूपये के हिसाब से कुल 02 माह के 6000 रूपये की रिश्वत राशि की मांग किया जाना तय होना पाये जाने मे आज दिनांक 16.09.25 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन कर आरोपी श्री अखिलेश कुमार द्वारा परिवादी से आज दिनांक को रिश्वत राशि की मांग के अनुसरण मे वैध पारिश्रमिक भत्ते के अतिरिक्त कुल 02 माह के 24000 रूपये का वेतन भुगतान दिनांक 11.09.25 को किये जाने पर प्रतिमाह 3000 रूपये के हिसाब से कुल 6000 रू0 की रिश्वत राशि ग्रहण करने पर आरोपी श्री अखिलेश कुमार का अपराध अन्तर्गत् धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधन2018) का अपराध कारित किया जाना प्रमाणित पाया जाने से आरोपी श्री अखिलेश कुमार को जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया गया। बाद कार्यवाही मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान स्टाफ, दोनों स्वतन्त्र गवाहान, गिरफ्तारषुदा आरोपी श्री अखिलेश कुमार एवं परिवादी तथा जब्तशुदा आर्टिकल मय लेपटाप, प्रिंटर, ट्रेप बाक्स के सरकारी व प्राईवेट वाहन मय चालक श्री मनीष कानि0 के पुलिस थाना ब्यावर सदर से ब्यूरो कार्यालय स्पेशल यूनिट-अजमेर पहुंचा। कार्यवाही में जब्त शुदा समस्त आर्टिकल मालखाना में जमा करवाये जाने हेतु मालखाना प्रभारी श्री तुलछाराम हैड कानि0 को सुपुर्द किये गये। दिनांक

17.09.25 समय 09.30 एएम पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतन्त्र गवाहान कार्यालय स्टाफ मय परिवादी कार्यालय हाजा मे उपस्थित है। अतः अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु आरोपी व परिवादी के मध्य दिनांक 16.09.25 को वक्त लेन-देन के समय दर्ज की गई वार्ता जो सरकारी डिजीटल वाईस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में दर्ज है को कम्पयूटर की सहायता मे गवाहान व परिवादी कन्हैया लाल के समक्ष आपरेट कर शब्द-ब-शब्द सुनी जाकर समय 09.45 एएम पर फर्द ट्रांस्क्रिप्ट अलग से मुर्तिब की गयी। जिस पर संबंधित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त मूल मैमोरी कार्ड में दर्ज आवाज की हेश वेल्यू कार्यालय के कम्पयूटर से निकाली जाकर प्रिण्ट पर सम्बन्धित गवाहान के हस्ताक्षर कराये जाकर शामिल पत्रावली किये गए। मूल मैमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई वार्ता को कार्यालय के कम्प्यूटर की सहायता से तीन पैन ड्राईव में संधारित कर तैयार करवाये गए। मूल मैमोरी कार्ड को निरन्तरता की जांच के लिये कपड़े की थेली मे डालकर एफ0एस0एल0 हेतु, एक पैन ड्राईव को कपड़े की थेली में डालकर न्यायालय हेतु तथा दूसरे पैन ड्राईव को पृथक से कपड़े की थेली में डालकर आरोपी हेतु सिल्ड किया जाकर सील चिट पर संबंधित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। तीसरे पैन ड्राईव को कागज के लिफाफे में रख कर अनुसंधान अधिकारी हेतु शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण मे जब्तशुदा आर्टिकल मालखाने में जरिए मालखाना प्रभारी के सुरक्षित जमा करवाये गए। सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही मे काम मे ली गई पीतल की नमूना सील की फर्द नमूना सील पृथक से तैयार कर सम्बन्धित गवाहान के हस्ताक्षर कराये जाकर शामिल पत्रावली की गई। उपरोक्त तथ्यों एवं सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि परिवादी श्री कन्हैया लाल पुत्र श्री अर्जुन लाल उम्र 30 वर्ष जाति गुर्जर निवासी ग्राम पिपलाजी ग्राम पंचायत सरमालिया तहसील व जिला ब्यावर हाल की-मैन ग्राम पंचायत सरमालिया पंचायत समिति जवाजा जिला ब्यावर का माह जुलाई/अगस्त 2025 के दो माह का 12000 रूपये प्रतिमाह के हिसाब से कुल 24000 रूपये का वेतन भुगतान किये जाने की एवज मे आरोपी श्री अखिलेश कुमार ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सरमालिया, पंचायत समिति जवाजा जिला ब्यावर द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर परिवादी से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 12.09.25 को प्रतिमाह 3000 रूपये के हिसाब से कुल 02 माह के 6000 रूपये की रिश्वत राशि की मांग किया जाना तय होना पाये जाने से आज दिनांक 16.09.25 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन कर आरोपी श्री अखिलेश कुमार द्वारा परिवादी से आज दिनांक को रिश्वत राशि की मांग के अनुसरण मे वैध पारिश्रमिक भत्ते के अतिरिक्त कुल 02 माह के 24000 रूपये का वेतन भुगतान दिनांक 11.09.25 को किये जाने पर प्रतिमाह 3000 रूपये के हिसाब से कुल 6000 रू0 की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथो गिरफ्तार किया गया। आरोपी श्री अखिलेश कुमार के दौराने ट्रेप कार्यवाही मेन्टीनेन्स राशि 9840 रूपये का भुगतान भी प्राप्त किया जाना पाये जाने से जब्तशुदा रिकार्ड के आधार पर उक्त मेन्टीनेन्स राशि के फर्जी बिल बनाकर संदिग्ध होने से राशि 9840 रूपये भी बरामद की गई है, जिसके संबंध मे दौराने अनुसंधान पृथक से भूमिका स्पष्ट की जावेगी। दौराने ट्रेप कार्यवाही रिश्वत राशि आरोपी श्री अखिलेश कुमार के वरवक्त शरीर पर पहनी हुई पेन्ट की सामने की बायी जेब मे बरामद होना तथा आरोपी के दोनो हाथो की अंगुलियो व अंगुठो के धोवन एवं पेन्ट के सामने की बायी जेब के धोवन के मिश्रण का रंग गुलाबी प्राप्त हुआ है। इस प्रकार आरोपी श्री अखिलेश कुमार पुत्र श्री श्याम लाल बैरवा उम्र 42 वर्ष जाति बैरवा निवासी मकान नम्बर 16/19, फाय सागर रोड जीसी 2 के पास, पुलिस थाना हरिभाउ उपाध्याय नगर जिला अजमेर हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सरमालिया, पंचायत समिति जवाजा तहसील व जिला ब्यावर का उक्त कृत्य जुर्म अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधन 2018) का कारित करना पाया गया हैं। उक्त कार्यवाही की बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन श्रीमान महानिदेशक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवा में प्रेषित की जावेगी। (राकेश कुमार वर्मा) उप अधीक्षक पुलिस, भ्रनिब्यूरो स्पे.यूनिट अजमेर..........कार्यवाही पुलिस.........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री राकेश वर्मा, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. अजमेर, ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री अखिलेश कुमार पुत्र श्री श्याम लाल बैरवा उम्र 42 वर्ष जाति बैरवा निवासी मकान नम्बर 16/19, फाय सागर रोड जीसी 2 के पास, पुलिस थाना हरिभाउ उपाध्याय नगर जिला अजमेर हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सरमालिया, पंचायत समिति जवाजा तहसील व जिला ब्यावर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री नरेन्द्र सिंह राठौड, पुलिस निरीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 333 पर अंकित है। (महावीर प्रसाद शर्मा) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1385-88 दिनांक 18.09.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर, 2. विकास अधिकारी, पंचायत समिति जवाजा जिला ब्यावर 3.-उप महानिरीक्षक-मुख्यालय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर4.अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एस.यू. अजमेर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.):** NARENDRA SINGH RATHORE **Rank (पद):** निरीक्षक
(जाँच अधिकारी का नाम):

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to**
(जाँच के लिए) :

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति नि:शुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant**
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by Mahaveer Prasad Sharma
Location: Rajasthan,IN
Date: [illegible]/2025 [illegible]

15. **Date and time of dispatch to the court**
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): MAHAVEER PRASAD
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	23/01/1983				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)